



The Maharana Pratap University of Agriculture and  
Technology Udaipur (Amendment) Act, 2013

Act 23 of 2013

Keyword(s):

Maharana Pratap University, Technology, Udaipur, Academic Council,  
Agriculture, Affiliated College, University, Extension Education Council,  
Teacher, Partly Repealed

Amendment appended: 18 of 2015

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



राजस्थान राज—पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 25, सोमवार, शाके 1935—सितम्बर 16, 2013  
Bhadra 25, Monday, Saka 1935—September 16, 2013

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 16, 2013

संख्या प. 2 (38) विधि/2/2013:—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

**महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय**

**उदयपुर (संशोधन) अधिनियम, 2013**

**(2013 का अधिनियम संख्यांक 23)**

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हुई]

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इस अधिनियम का नाम महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 30 मई, 2013 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **2000 के राजस्थान अधिनियम सं.8 की धारा 24 का संशोधन.**- महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं.8), जिसे इसमें आगे मूल

अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**"24. कुलपति.-** (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा -

- (क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय से संबंधित न हो;
- (ख) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या उसका नामनिर्देशिती;
- (ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और
- (घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(2) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता/करती है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा/होगी।

(3) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा/करेगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का/की हकदार होगा/होगी जो विहित की जायें।

(4) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (1) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (5) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(5) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति उसकी छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (4) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट

तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।

(6) कुलपति अपने पद का त्याग, किसी भी समय अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का/की इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा/सकेगी।

(7) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

(8) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था/थी, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा/सकेगी जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था/थी और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(9) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो/रही हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(10) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(11) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टियों का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।"।

**3. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं.8 की धारा 34 का संशोधन.-**मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**"34. लेखे और संपरीक्षा.-**(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलपति के निदेश के अधीन, नियंत्रक द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए वार्षिक बजट प्राक्कलन तैयार करेगा।

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे और वार्षिक बजट प्राक्कलन वित्त समिति की टिप्पणियों के साथ बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।

(4) वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(5) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(6) विश्वविद्यालय, संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।"।

**4. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं.8 में नयी धाराओं का अन्तःस्थापन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 37 के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 7 के पूर्व निम्नलिखित नयी धाराएं अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

**"37-क. राज्य सरकार का नियंत्रण.-** जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है, अर्थात्:-

- (क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;
- (ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति-पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;
- (ग) अपने अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी को किसी अतिरिक्त/विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, जिसमें वित्तीय विवक्षाएं रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदे सम्मिलित हैं, की मंजूरी;
- (घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;
- (ङ) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण;
- (च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना; और
- (छ) ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

**स्पष्टीकरण.-** पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित ऐसे पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना है।

**37-ख. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा.-**(1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित ऐसे किसी भी मामले के संबंध में, जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह

निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।"।

**5. निरसन और व्यावृत्तियां-**(1) महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं. 6) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

प्रकाश गुप्ता,  
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT**  
**(GROUP-II)**  
NOTIFICATION  
**Jaipur, September 16, 2013**

**No. F. 2 (38) Vidhi/2/2013.**—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following

translation in the English language of the Maharana Pratap Krishi Aur Praudyogiki Vishwavidyalaya, Udaipur (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (2013 Ka Adhiniyam Sankhyank 23):-

**(Authorised English Translation)**

**MAHARANA PRATAP UNIVERSITY OF AGRICULTURE  
AND TECHNOLOGY UDAIPUR (AMENDMENT) ACT, 2013  
(Act No. 23 of 2013)**

[Received the assent of the Governor on the 15<sup>th</sup> day of September, 2013]

*An*

*Act*

*further to amend the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 30<sup>th</sup> May, 2013.

**2. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 8 of 2000.-** For the existing section 24 of the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000 (Act No. 8 of 2000), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**“24. Vice-Chancellor.-** (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government upon the recommendation of a Selection Committee consisting of -



- (a) one person nominated by the Board not connected with the University or any college thereof;
- (b) Director General, Indian Council of Agriculture Research or his nominee;
- (c) one person nominated by the Chancellor; and
- (d) one person nominated by the State Government,

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(2) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he or she enters upon his or her office or until he or she attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(3) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he or she shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(4) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his or her death, resignation, removal or the expiry of his or her term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him or her under and in accordance with sub-section (5).

(5) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (4), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the advice

of the State Government, arrangement for the carrying on the function of the office of the Vice-Chancellor.

(6) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he or she wishes to be relieved, his or her resignation to the Chancellor.

(7) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(8) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he or she may continue to contribute to the provident fund of which he or she was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(9) Where the Vice-Chancellor had been in his or her previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(10) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(11) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

- (a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and
- (b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.”.

**3. Amendment of section 34, Rajasthan Act No. 8 of 2000.-** For the existing section 34 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“**34. Accounts and audit.**- (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Comptroller under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(2) The Comptroller shall, before such date as may be prescribed by the Statutes, prepare the annual budget estimates for the ensuing year.

(3) The annual accounts and the annual budget estimates prepared by the Comptroller shall be placed before the Board together with the remarks of the Finance Committee for approval and the Board may pass resolution with reference thereto and communicate the same to the Comptroller who shall take action in accordance therewith.

(4) The annual accounts shall be audited in the prescribed manner by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University fund.

(5) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with the audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary.

(6) The University shall settle objections raised in the audit and carry out such instructions as may be issued by the State Government on the audit report.”

**4. Insertion of new sections, Rajasthan Act No. 8 of 2000.**- After the existing section 37 and before the existing Chapter VII of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:-

“**37-A. Control of the State Government.**- Where the State Government funds are involved, the University shall abide by the terms and conditions attached to the sanction of such funds which may *inter alia* include prior

permission of the State Government in respect of the following, namely:-

- (a) creation of the new posts of teachers, officers or other employees;
- (b) revision of the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits to its teachers, officers and other employees;
- (c) grant of any additional/special pay, allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including *ex-gratia* payment or other benefits having financial implications, to any of its teachers, officers or other employees;
- (d) diversion of any earmarked funds other than the purpose for which it was received;
- (e) transfer by sale, lease, mortgage or otherwise of immovable property;
- (f) incur expenditure on any development work from the funds received from the State Government for any purposes other than for which the funds are received; and
- (g) take any decision resulting in increased financial liability, direct or indirect, for the State Government.

**Explanation.-** The above conditions shall also apply in respect of the posts created from any other fund, which may, in the long term, be likely to cause financial implications to the State Government.

**37-B. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.-** (1) The State Government shall have the right to cause an inquiry to be made, by such person or persons as it may direct, and to issue directions to the University, in respect of any matter connected with the finances of the University, where State Government funds are concerned.


(2) If the State Government is satisfied that owing to mal-administration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may, by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.”.

**5. Repeal and savings.-** (1) The Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 6 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

प्रकाश गुप्ता,

**Principal Secretary to the Government.**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>सत्यमेव जयते | <b>राजस्थान राज—पत्र</b><br><b>विशेषांक</b>   | <b>RAJASTHAN GAZETTE</b><br><b>Extraordinary</b> |
|   | साधिकार प्रकाशित  | <i>Published by Authority</i>                    |
|   | वैशाख 7, सोमवार, शाके 1937—अप्रैल 27, 2015<br><i>Vaisakha 7, Monday, Saka 1937—April 27, 2015</i> |  |

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**

**(ग्रुप-2)**

अधिसूचना

**जयपुर, अप्रैल 27, 2015**

**संख्या प. 2 (38) विधि/2/2014:**—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

**महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) अधिनियम, 2015**

**(2015 का अधिनियम संख्यांक 18)**

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई]

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**2. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 की धारा 2 का संशोधन.-** महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 8), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात्

और विद्यमान खण्ड (ख) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(कक) "संबद्ध महाविद्यालय" से ऐसा महाविद्यालय या संस्थान, जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों, अभिप्रेत है;"

**3. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 की धारा 4 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

- (i) विद्यमान उप-धारा (3) हटायी जायेगी;
- (ii) विद्यमान उप-धारा (4) को उप-धारा (3) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा; और
- (iii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(4) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा,-

(क) विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी भी संस्थान या महाविद्यालय से, विधि द्वारा निगमित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से अपनी संबद्धता या अपने विश्वविद्यालयजन्य विशेषाधिकार ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, समाप्त कर लेने की अपेक्षा कर सकेगी, या

(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्थान या महाविद्यालय को, जिसका राज्य सरकार की राय में स्वायत्त होना या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय से सम्बद्ध किया जाना या विशेषाधिकारों का दिया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम द्वारा गठित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता या उसके विशेषाधिकार दिये जाने से, ऐसी सीमा तक,

जो आवश्यक और उचित समझी जाये, अपवर्जित कर सकेगी।"।

**4. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 की धारा 7 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 7 में विद्यमान खण्ड (ड) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (च) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(डड) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न किये गये महाविद्यालयों और संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना, और ऐसे विशेषाधिकारों में से समस्त या किसी विशेषाधिकार को वापस लेना;"।

**5. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 की धारा 12 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) में विद्यमान खण्ड (x) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xi) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(x-क) विद्या परिषद् की सिफारिश पर महाविद्यालयों या संस्थानों को संबद्धता प्रदान करना या ऐसी संबद्धता को वापस लेना;"।

**6. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 की धारा 38 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 38 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (11) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (12) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(11-क) महाविद्यालयों या संस्थानों की सम्बद्धता की और ऐसी सम्बद्धता को वापस लेने की प्रक्रिया तथा निबंधन और शर्तें, और सम्बद्धता की फीस के निबंधन तथा शर्तें;" ; और

(ii) खण्ड (12) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुरक्षित" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "महाविद्यालय/केन्द्रों" के पूर्व "घटक" शब्द अन्तःस्थापित किया जायेगा।

दीपक माहेश्वरी,  
प्रमुख शासन सचिव।



**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(GROUP-II)  
NOTIFICATION**

**Jaipur, April 27, 2015**

**No. F. 2 (38) Vidhi/2/2014.**-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the Following translation in the English language of the Maharana Pratap Krishi aur Praudyogiki Vishwavidyalaya Udaipur (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 18):-

**(Authorised English Translation)  
THE MAHARANA PRATAP UNIVERSITY OF  
AGRICULTURE AND TECHNOLOGY UDAIPUR  
(AMENDMENT) ACT, 2015  
(Act No. 18 of 2015)**

[Received the assent of the Governor on the 24<sup>th</sup> day of April, 2015]

*An*

*Act*

*further to amend the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.**- (1) This Act may be called the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 8 of 2000.**- In section 2 of the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000 (Act No. 8 of 2000), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing clause (a) and before the existing clause (b), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(aa) "affiliated college" means a college or institute admitted to the privileges of the University;”.

**3. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 8 of****2000.-** In section 4 of the principal Act,-

- (i) the existing sub-section (3) shall be deleted;
- (ii) the existing sub-section (4) shall be renumbered as sub-section (3); and
- (iii) after the sub-section (3) so renumbered, the following new sub-section shall be added, namely:-

“(4) The State Government may, by order in writing-

- (a) require any institute or college within the territorial limits of the University to terminate, with effect from such date as may be specified in the order, its association with, or its admission to the privileges of any other university incorporated by law to such extent as may be considered necessary and proper; or
- (b) exclude, to such extent as may be considered necessary and proper, from association with, or from admission to the privileges of the University constituted by this Act any institute or college specified in the order which, in the opinion of the State Government, is required to be self governing or to be associated with or admitted to the privileges of, any other university or body.”.

**4. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 8 of****2000.-** In section 7 of the principal Act, after the existing clause (e) and before the existing clause (f), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(ee) to admit colleges and institutes, not maintained by the University, to the privileges of the University, and to withdraw all or any of such privileges;”.

**5. Amendment of section 12, Rajasthan Act No. 8 of****2000.-** In sub-section (2) of section 12 of the principal Act, after

the existing clause (x) and before the existing clause (xi), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(x-a) to grant affiliation to colleges or institutes on the recommendation of the Academic Council or withdraw such affiliation;”.

**6. Amendment of section 38, Rajasthan Act No. 8 of 2000.-** In section 38 of the principal Act,-

(i) after the existing clause (11) and before the existing clause (12), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(11-a) procedure and terms and conditions of affiliation and of withdrawal of such affiliation, and terms and conditions of fees for affiliation, to colleges or institutes;”; and

(ii) in clause (12), after the existing expression “management of” and before the existing expression “Colleges/Centres”, the word “constituent” shall be inserted.

दीपक माहेश्वरी,  
**Principal Secretary to the Government.**

---

6  
**Government Central Press, Jaipur.**